न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रतना पुत्र सुरजन जाति विश्नोई निवासी करवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. हरचन्द पुत्र सुरजन जाति विश्नोई निवासी करवाडा तहसील रानीवाडा 2. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला—जालोर

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री ललित खत्री।
3. अप्रार्थी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

—: निर्णय :—

दिनांक — 23.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि यह कि सरहद मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1857/639 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नबंर 1860/538 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा नबंर 535 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नबंर 536 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नबंर 537 रकबा 0.05 हैक्टेयर आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नबंर 1860/538, 535, 536 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1861/538 रकबा 1.73 हैक्टेयर आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। उक्त प्रार्थी की आराजी खसरा नबंर 1860/538, 535, 536 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1861/538 की सीमा को लेकर विवाद होने पर प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के समक्ष उक्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 35 दिनांक 17.12.2021 के जरिये उक्त भुमि की पैमाईश करने के आदेश हल्का पटवारी करवाडा दिनांक 2.1.2022 को मौके पर पैमाईश करने गये परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त विवादीत आराजी की पैमाईश नहीं करने दी। मौके पर पैमाईश विवादास्पद होने से पैमाईश कार्य नहीं हुआ तथा श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के आदेश की पालना नहीं की जा सकी तथा प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमांकन विवाद होने से नहीं किया गया।

इस प्रकार प्रार्थी की आराजी खसरा नबंर 1860/538, 1857/639, 535, 536 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1861/538 के सीमा को लेकर विवाद होने से अप्रार्थी संख्या 1 हमेशा प्रार्थी से विवाद करता रहता है। इसलिये प्रार्थी अपने नाम की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1860/538, 1857/639, 535, 536 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी 1861/538 का पैमाईश कर प्रार्थी की आराजी खसरा नबंर 1860/538, 1857/639, 535, 536 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:54 IST
Reason: SelfAttested

1861 / 538 के बीच की सीमा का सीमाकंन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि सरहद मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1857 / 639 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नबंर 1860 / 538 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा नबंर 535 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नबंर 536 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नबंर 537 रकबा 0.05 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1861 / 538 की पैमाईश कर प्रार्थी की आराजी खसरा नबंर 1860 / 538, 1857 / 639, 535, 536 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1861 / 538 के बीच की सीमा का सीमाकंन कर स्थाई चिन्ह पत्थर गड्ढी करने के आदेश फरमावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं दे कर विवाद की स्थिति को स्वीकार कर बहस करने का निवेदन किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वर्तमान में राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नबंर 1857 / 639, 1860 / 538, 535, 536, 537 सरहद मौजा करवाडा में आए हुए है। प्रार्थी के खेत खसरा नबंर 1860 / 538, 535, 536 के पडौस में अप्रार्थी का खेत खसरा नबंर 1861 / 538 आए हुए है, इसी प्रकार प्रार्थी के अन्य खेत खसरा नबंर 1857 / 639 के पडौस में अप्रार्थी का खेत खसरा नबंर 1858 / 639 भी आया हुआ है। प्रार्थी ने विवाद पैदा करने के लिए हल्का पटवारी से पैमाईश करवाने हेतु दरख्वास्त पेश की थी एवं मौके पर पटवारी के आने पर स्वयं ने विवाद पैदा किया, जिससे पैमाईश नहीं हो सकी। दरहकीकत प्रार्थी एवं अप्रार्थी सगे भाई है। प्रार्थी ने एक दावा बाबत बंटवाडा का माननीय सहायक कलेक्टर रानीवाडा की अदालत में पेश किया, जो राजस्व मुल वाद संख्या 08 / 2018 है। उक्त बंटवाडा दावा पेश होने से 35 वर्ष पुर्व आपसी सहमति से उपजाउ व अनुपजाउ, उनकी कीमत के मध्यनजर खसरा नबंर 639, 538 व अन्य भुमि का बंटवाडा किया गया एवं उस बंटवाडे के अनुसार खसरा नबंर 538, 639 के बीच माठ व पेड उगाकर अलग–अलग बंट किए गये थे, जो पेड वर्तमान में बडे–बडे हो गए है। माठ पर गहरी झाडी हो गई है। अदालत श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय रानीवाडा ने दोनो पक्षों की सहमति से एक प्राथमिक डिक्री जारी कर मौके पर स्थित पुर्व बंटवाडे की स्थिति के अनुसार खसरा नबंर 538 व 639 का नक्शा मय नाप पेश करने का आदेश जारी किया। तहसीलदार ने पुराने बंटवाडे की स्थिति को बताते हुए बंटवाडा करने पर प्रस्ताव पेश करना बताया, जिस पर अप्रार्थी ने अपनी सहमति दी परन्तु अब अप्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि तहसीलदार ने खसरा नबंर 538 में 35 वर्ष पुर्व किए बंटवाडे की माठ के अनुसार मौके पर खडे पुराने पेडो के अनुसार प्रस्ताव पेश नहीं कर प्रार्थी के हक में धोखे से ज्यादा भुमि का नक्शा पेश किया। अप्रार्थी अनपढ होने से प्रार्थी व तहसीलदार की चाल को समझ नहीं सका। अब प्रार्थी उक्त धोखे से की गई तरमीम के आधार पर भुमि में पत्थर गढी करवाकर अप्रार्थी के पुराने बंट में आई भुमि को लेना चाहता है, जिससे कानुनन इजाजत नहीं दी जा सकती है।

प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच 35 वर्ष पुर्व उक्त भुमि के अलावा अन्य भुमि का बंटवाडा किया जाकर मौके पर माठ कायम की जाकर [illegible] पेड लगाए गए थे, जो पेड वर्तमान में बडे–बडे खडे है तथा माठ पर [illegible] खडी है, [illegible] लिए अप्रार्थी द्वारा सीमा को लेकर कोई विवाद पैदा करने का कोई [illegible] पत्थरगढी करवाना उचित समझे तो सेटलमेन्ट की टीम मौके पर लगाई ज[illegible]र गांव के किसी मुस्तकील बिन्दु से

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 19:49:54 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी के रूबरू नाम करवाया जाने के पश्चात पत्थरगढी का आदेश प्रदान करावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय नकल फैसला प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावे।

4. पत्रावली मे पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.01.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर अप्रार्थी हरचन्द द्वारा विवाद करने पर सीमाकंन नहीं किया गया। तथा राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब व बहस में निवेदन किया कि सेटलमेंट की टीम मौके पर लगाई जाकर गांव के किसी मुस्तकील बिन्दू से अप्रार्थी के रूबरू नाप करवाया जाने के पश्चात पत्थरगढी करवाई जावे। जो इस प्रार्थना पत्र के अंतर्गत किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। ऐसी ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा करवाडा के खसरा नम्बर 1860/538 व 1861/538 के मध्य की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद करवाडा पटवार हल्का करवाडा के खसरा नम्बर 1860/538 रकबा 1.61 व 1861/538 रकबा 1.73 हेक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:54 IST
Reason: SelfAttested